



2026:AHC:164026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 9659 वर्ष 2025

अनुज

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राकेश कुमार वर्मा

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, इम्तियाज हुसैन, मुकेश जोशी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया प्रति-हलफनामा अभिलेख में लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 540 वर्ष 2025, धारा 69 और 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत, थाना - कटघर, जिला मुरादाबाद में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार करने के प्रयास के बावजूद उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। कथित घटना 10.01.2025 को घटी थी, जबकि प्राथमिकी काफी देरी के बाद 30.08.2025 को दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी का अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़िता की सहमति थी और आवेदक के साथ उसका आपसी सहमति से संबंध था। आवेदक द्वारा कभी भी जबरदस्ती बलात्कार नहीं किया गया और प्राथमिकी झूठे आरोपों के आधार पर दर्ज की गई है। घटना के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समय पीड़िता बालिग थी और उसने स्वीकार किया कि उसका और आवेदक का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण नहीं बनता। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया और कहा कि आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। पीड़िता ने गलतफहमी में बयान दिया और आवेदक ने विवाह का झूठा वादा किया था।

6. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अध्ययन किया।

7. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना, जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ना आदि पर विचार करना होगा। न्यायालय ने आगे यह भी माना है कि अग्रिम जमानत देने या न देने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे कारकों से निर्देशित होना चाहिए। जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रकरण है।

8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो जाती है, या प्रकरण जघन्य अपराध का हो, या जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो, या आरोपी के फरार होने की आशंका हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी वैध है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य में अंतर करना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि गिरफ्तारी को नियमित प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपार क्षति पहुंच सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन का उल्लंघन करेगा, और वास्तव में उसने पूरी विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई दायित्व नहीं है।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में आवेदक- **अनुज** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193(3) के तहत पुलिस सूचना प्रस्तुत होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित थाना के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप जमानत प्रस्तुत करे।

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा और विवेचना के संचालन के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार विवेचना अधिकारी को सूचना करेगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विवश हो जाए; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

5 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।